माननीय मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय
(मुख्य संरक्षक रालसा)

लीगल एड डिफेंस काउंसल सिस्टम के शुभारंभ के अवसर पर उद्‌बोधन

1. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय न्यायाधिपति श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव
2. राजस्थान उच्च न्यायालय के माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति श्री संदीप मेहता
3. राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर के अध्यक्ष माननीय न्यायाधिपति श्री विजय बिश्नोई
4. जज–इन्चार्ज–मीडियेशन, जोधपुर माननीय न्यायाधिपति श्री अरूण भंसाली
5. राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर के अध्यक्ष माननीय न्यायाधिपति श्री पंकज भंडारी
6. जज–इन्चार्ज–मीडियेशन, जयपुर माननीय न्यायाधिपति श्री बिरेन्द्र कुमार
7. कार्यक्रम में उपस्थित 23 न्यायक्षेत्रों के जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के अध्यक्षगण, सचिवगण एवं स्टाफकर्मी
8. 23 न्यायक्षेत्रों में लीगल एड डिफेंस काउंसल के तौर पर चयनित हुए सभी 67 विद्वान अधिवक्तागण
9. राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल एवं रजिस्ट्री के अन्य अधिकारीगण
10. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारीगण

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार संपूर्ण भारतवर्ष में फौजदारी प्रकरणों में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत समाज के कमजोर एवं वंचित वर्ग के पात्र व्यक्तियों की न्याय तक पहुंच सुलभ बनाने के लिए उनको निःशुल्क सक्षम एवं प्रभावी विधिक सहायता उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से पैनल अधिवक्ता सिस्टम को समाप्त कर उसके स्थान पर लीगल एड़ डिफेंस काउंसल सिस्टम अंगीकृत किया गया है।

प्रथम चरण हेतु चयनित राज्यों में राजस्थान राज्य को भी सम्मिलित किया गया है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय न्यायाधिपति श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव प्रथम चरण में ही राजस्थान राज्य के सभी 36 न्यायक्षेत्रों

में लीगल एड डिफेंस काउंसल सिस्टम प्रारंभ किये जाने का निर्णय लिये जाने एवं त्वरित गति से सभी 36 न्यायक्षेत्रों में लीगल एड डिफेंस काउंसल सिस्टम के कार्यालय के लिए स्थान चिन्हित कर सुव्यवस्थित एवं सुसज्जित कार्यालय स्थापित करने के लिए बधाई के पात्र हैं।

आज दिनांक 11.01.2023 से राजस्थान राज्य के 23 न्यायक्षेत्रों के जिला मुख्यालयों पर लीगल एड डिफेंस काउंसल सिस्टम का आरम्भ किया जा रहा है, जिनमें 22 चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसल का, 09 डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसल का तथा 36 असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसंल का चयन कर लिया गया है, जिसके लिए रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय न्यायाधिपति श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव, सम्पूर्ण टीम रालसा एवं लीगल एड डिफेंस काउंसल के तौर पर चयनित हुए विद्वान अधिवक्तागण बधाई के पात्र हैं।

मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि शेष 13 न्यायक्षेत्रों के जिला मुख्यालयों पर भी जो लीगल एड डिफेंस काउंसल की भर्ती प्रक्रिया विचाराधीन है, वह शीघ्र ही पूर्ण कर ली जावेगी।

लीगल एड डिफेंस काउसिंल सिस्टम के लागू होने के बावजूद भी, पैनल अधिवक्ता प्रणाली आपराधिक मामलों में केवल शिकायतकर्ताओं/पीड़ितों को कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ–साथ, सिविल, राजस्व, जेजीबी/सीडब्ल्यूसी एवं सिविल क्षेत्राधिकार वाले सभी न्यायाधिकरणें में कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए निरंतर उपलब्ध कराई जाती रहेंगी। अर्थात् ऐसा नहीं है कि लीगल एड डिफेंस काउंसल सिस्टम लागू होने के बाद पैनल अधिवक्ता प्रणाली पूर्णतया समाप्त हो जायेगी।

नालसा का लीगल एड़ डिफेंस काउंसल सिस्टम लागू करने का यह नवाचार यूरोप के पब्लिक डिफेंडर सिस्टम के समकक्ष है, जिसके माध्यम से समाज के कमजोर एवं वंचित वर्ग के पात्र व्यक्तियों को फौजदारी मामलों में ढ़ांचागत सक्षम एवं प्रभावी विधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाकर उनकी न्याय तक पहुंच को अधिक सुगम बनाया जा सकेगा।

मुझे यह दृढ़ विश्वास है कि हम सभी के सामूहिक प्रयासों से लीगल एड डिफेंस काउंसल सिस्टम राजस्थान राज्य में कमजोर एवं वंचित वर्ग के व्यक्तियों को फौजदारी मामलों में सक्षम एवं प्रभावी विधिक सहायता उपलब्ध कराने तथा उनकी न्याय तक पहुंच को सुगम बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।